रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237351
CG-DL-E-18072022-237351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944
No. 179] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

सं. 17/2015–2020

विषय : भारत गणराज्य की सरकार और (i) म्यान्मार से उड़द और तूर के आयात के लिए म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार (ii) मलावी से पीजन पीज के आयात के लिए मलावी गणराज्य की सरकार (iii) मोजाम्बिक से पीजन पीज के आयात के लिए मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में।

फा. सं. एम–5012/300/2002–पीसी 2(क)/(ई–2578).—विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) म्यान्मार से 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 06 सितम्बर, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 22/2015–20,

(ii) मलावी से 50,000 मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 06 सितम्बर, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 21/2015–20 और

(iii) मोजाम्बिक से 2 लाख मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मौजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 19 मार्च, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 44/2015–20 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा समझौता ज्ञापनों के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं:

(i) भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली म्यान्मार उद्गम के 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर का वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है। तदनुसार, 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए म्यान्मार से आयात किए जाने वाले 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

ख. आयात म्यान्मार सरकार द्वारा दिए गए स्टांप के साथ व्यापार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा के ब्यौरे सहित) जारीकर्ता नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई–मेल आईडी: ddg1import-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें → के माध्यम से पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। आयातक अनिवार्य रुप से उक्त ऑनलाइन आवेदन के भाग के रुप में उद्गम प्रमाणपत्र अपलोड करेगा।

(ii) भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली मलावी उद्गम के तूर (पीजन पीज) का 50,000 मीट्रिक टन वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है। तदनुसार, 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मलावी से आयात किए जाने वाले 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

ख. आयात मलावी सरकार द्वारा दिए गए स्टांप के साथ मलावी राजस्व प्राधिकरण के सीमा"ुल्क और उत्पाद प्रभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा के ब्यौरे सहित) नामित जारीकर्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई–मेल आईडी: ddg1import-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें → के माध्यम से पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा। आयातक अनिवार्य रुप से उक्त ऑनलाइन आवेदन के भाग के रुप में उद्गम प्रमाणपत्र अपलोड करेगा।

(iii) भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच पीजन पीज के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तारित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत 2022–26 के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली मोजाम्बिक उद्गम के 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज का आयात करने पर सहमत हुआ है। तदनुसार, 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मोजम्बिक से आयात किए जाने वाले 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

ख. आयात मोजाम्बिक सरकार द्वारा दिए गए स्टांप के साथ आईसीएम (इंस्टीट्यूटो डी सेरेअसी डी मोकाम्बिक) में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित 'उद्गम प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा के ब्यौरे सहित) नामित जारीकर्त्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ddg1import-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें → के माध्यम से पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा। आयातक अनिवार्य रुप से उक्त ऑनलाइन आवेदन के भाग के रुप में उद्गम प्रमाणपत्र अपलोड करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः भारत गणराज्य की सरकार और (i) म्यान्मार से 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात के लिए म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार (ii) मलावी से 50000 मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए मलावी गणराज्य की सरकार, (iii) मोजम्बिक से 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए मोजम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के तहत आयात हेतु 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया/तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th July, 2022

No. 17/2015-20

Subject : Implementation of MoUs between Government of Republic of India and (i) the Government of the Republic of the Union of Myanmar for import of urad and tur from Myanmar, (ii) Government of Republic of Malawi for import of pigeon peas from Malawi, (iii) Government of Republic of Mozambique for import of pigeon peas from Mozambique - reg.

F. No. M-5012/300/2002-PC 2(A)(E-2578).—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020) and in continuation of -

(i) Public Notice No.22/2015-20 dated 6th September, 2021 regarding MoU between Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Union of Myanmar for import of 2,50,000 MT of urad and 1,00,000 MT of tur from Myanmar,

(ii) Public Notice No.21/2015-20 dated 6th September, 2021 regarding MoU between Government of the Republic of India and Government of Republic of Malawi for import of 50,000 MT of pigeon peas from Malawi, and

(iii) Public Notice No.44/2015-20 dated 19th March, 2021 regarding MoU between Government of the Republic of India and Government of Republic of Mozambique for import of 2,00,000 MT of pigeon peas from Mozambique, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the procedures/ modalities for complying with the aforesaid provisions under the MoUs:

(1) In pursuance of the Memorandum of Understanding (MoUs) between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of the Union of Myanmar, India has agreed to provide an annual quota of 2,50,000 MT of Urad and 1,00,000 MT of Tur of Myanmar origin to be imported, through private trade, over the next five financial years, i.e., from 2021-22 to 2025-26 (April to March). Accordingly, 2,50,000 MT of Urad and 1,00,000 MT of Tur to be imported from Myanmar, is allowed for import for each fiscal year during the period 2022-26, subject to the following conditions:

a. Import will be allowed only through the following 5 ports: (i) Mumbai, (ii) Tuticorin, (iii) Chennai, (iv) Kolkata and (v) Hazira.

b. Import will be subject to production of "Certificate of Origin" certified by the authorized signatories of Department of Trade, Ministry of Commerce with stamps provided by the Government of Myanmar, which is being shared with the concerned Customs authorities of the above ports and CBIC.

c. While providing the Origin Certificate (including details of the exporter, importer and quantity of pulses), the designated issuing authority shall send a scanned copy of the certificate to the e-mail ID: ddg1import-dgft@gov.in

d. The Indian importer shall apply for registration/NOC through the *DGFT Website → Services → Import Management System → Apply for Registration Certificate for Imports*. The importer shall mandatorily upload the Certificate of Origin as part of the said online application.

(2) In pursuance of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of India and the Government of Republic of Malawi, India has agreed to provide an annual quota of 50,000 MT of tur (pigeon peas) from Malawi origin to be imported, through private trade, over the next five financial years, i.e., from 2021-22 to 2025-26 (April to March). Accordingly, 50,000 MT of tur (pigeon peas) to be imported from Malawi, is allowed for import for each fiscal year during the period 2022-26, subject to the following conditions:

a. Import will be allowed only through the following 5 ports: (i) Mumbai, (ii) Tuticorin, (iii) Chennai, (iv) Kolkata and (v) Hazira.

b. Import will be subject to production of "Certificate of Origin" certified by the authorized signatories of Customs & Excise Division of Malawi Revenue Authority with stamps provided by the Government of Myanmar, which is being shared with the concerned Customs authorities of the above ports and CBIC.

c. While providing the Origin Certificate (including details of the exporter, importer and quantity of pulses), the designated issuing authority shall send a scanned copy of the certificate to the e-mail ID: ddg1import-dgft@gov.in

d. The Indian importer shall apply for registration/NOC through the *DGFT Website → Services → Import Management System → Apply for Registration Certificate for Imports*. The importer shall mandatorily upload the Certificate of Origin as part of the said online application.

(3) In pursuance of the extended Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mozambique on cooperation in the field of production and marketing of pigeon peas, India has agreed to provide an annual quota of 2,00,000 MT of tur (pigeon peas) from Mozambique origin to be imported, through private trade, during 2022-26. Accordingly, 2,00,000 MT of tur (pigeon peas) to be imported from Mozambique, is allowed for import for each fiscal year during the period 2022-26, subject to the following conditions:

a. Import will be allowed only through the following 5 ports: (i) Mumbai, (ii) Tuticorin, (iii) Chennai, (iv) Kolkata and (v) Hazira.

b. Import will be subject to production of "Certificate of Origin" certified by the authorized signatories in the ICM (Instituto de Cereasi de Mocambique) with stamps provided by the Government of Mozambique, which is being shared with the concerned Customs authorities of the above ports and CBIC.

c. While providing the Origin Certificate (including details of the exporter, importer and quantity of pulses), the designated issuing authority shall send a scanned copy of the certificate to the e-mail ID: ddg1import-dgft@gov.in

d. The Indian importer shall apply for registration/NOC through the *DGFT Website → Services → Import Management System → Apply for Registration Certificate for Imports*. The importer shall mandatorily upload the Certificate of Origin as part of the said online application.

4. **Effect of this Public Notice:** Online Procedures / modalities for each fiscal year during the period 2022-26 for import under the Memorandum of Understandings (MoUs) between Government of the Republic of India and (i) the Government of the Republic of the Union of Myanmar for import of 2,50,000 MT of Urad and 1,00,000 MT of tur from Myanmar, (ii) Government of Republic of Malawi for import of 50,000 MT of pigeon peas from Malawi, (iii) Government of Republic of Mozambique for import of 2,00,000 MT of pigeon peas from Mozambique are laid down.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM